न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 13/2020
जीसीएमएस नम्बरः–2020/00106

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.देवाराम पुत्र छोगाराम। 2.गीताबेन पत्नि जोराराम। 3. जोराराम पुत्र छोगाराम। 4.श्रीराम पुत्र भला जातियान ब्राह्मण निवासीगण पहाड़पुरा तह–सांचौर जिला सांचौर		(1) कचरा पुत्र रवा फौम के कायम मुकाम– 1.हंजु पत्नि कचरा। 2.हाजा पुत्र कचरा। 3.शारदा पुत्री कचरा। 4. केली पुत्री कचरा। 5. पवन पुत्री कचरा 2.कसना उर्फ करसन पुत्र रवा फौत के कायम मुकाम। 1.मफी पुत्री कसना। 2.प्यारी पुत्री कसना। 3.सौभाग पुत्री कसना। 4.टीपू पुत्री कसना। 5.मुंगी पुत्री कसना। 6.जेती पुत्री कसना। 7.हरकन पुत्र कसना। 3.गंगदा पुत्र रवा। 4.जवा पुत्र गुमना। 5.मला पुत्र गुमना। 6. हंसा पुत्र गुमना जातियान मेगवंशी निवासीगण पहाड़पुरा तह–सांचौर जिला–सांचौर (राज.) 7.राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट नियम 1956
तारीख रजू:–10.09.2020

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार वैष्णव।
2. अप्रार्थीगण संख्या (1)1,2 (2)7,(3),(5) व (6) बावजूद तामिल के अनुपस्थित, जवाब बन्द।
3. अप्रार्थीगण संख्या (1) 3 ता 5 (2) 1 ता 6 व 4,एक पक्षीय ।
4. राज पैरोकार, तहसीलादर सांचौर।

निर्णय **दिनांक 12/06/024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि राजस्व मौजा मौखुपुरा, पटवार हल्का सांचौर, तहसील सांचौर में खेत खसरा नम्बर 1789 रकबा 1.54 हैक्टयर, किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नम्बर 1790 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1791 रकबा 3.84 हैक्टयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1791/2949 रकबा 0.05 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1792 रकबा 1.74 हैक्टयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम के कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा आई हुई है। प्रार्थीगण एक ही परिवार की सदस्य है तथा एक दुसरे की पैराकारी स्वीकार होने से प्रार्थीगण अपने उपर्युक्त खेतों की पैमाईश करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के खेत पूर्व दिशा के खेत खसरा नम्बर 1824 के खातेदार जो की अप्रार्थी संख्या 01

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

ता 06 है। प्रार्थीगण ने कथन किया कि अप्रार्थीगण हमेशा हमारे उक्त खेत की माठों को आगे–पीछे करते रहते है, इस बावत पूर्व में प्रार्थीगण ने तहसीलदार सांचौर के कार्यालय में उपस्थित होकर भूमि पैमाईश कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसपर भूमिधारी तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रार्थी के आवेदन को रजिस्ट्रर के पृष्ठ संख्या 58,क्रमांक संख्या 15, दिनांक 09.06.2020 को दर्ज किया गया और जांच तथा सीमाकंन के लिए हल्का पटवारी सांचौर को आदेशित किया गया।

तहसीलदार सांचौर के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी सांचौर दिनांक 17.06.2020 को मौके पर आये तथा प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा माखुपुरा के खसरा नम्बर 1789,1790,1791,1791/2949,1792 कुल रकबा 7.18 हैक्टयर भूमि की पैमाईश के लिए मौके पर पंहुचे। संयुक्त खातेदारी खेत की पैमाईश के अनुसार खसरा नम्बर 1792 के पूर्वी माठ यानी खसरा नम्बर 1792 व 1824 के खातेदारों अप्रार्थी गंगदाराम व मलाराम के पुत्र प्रभुराम द्वारा आपसी सहमति से माठ कायम की। अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.06.2020 को उक्त सीमांकन के आमलात नष्ट करते हुए उक्त माठ को हटा दिया एवं स्पष्ट सीमा चिन्ह नही होने से विवाद उत्पन्न करते रहते है, अतः सीमा विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढ़ी करवाने का श्रीमान को प्रस्तुत किया है, जिसे स्वीकार कर तहसीलदार सांचौर को पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित करावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2020 को दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थी को नाटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या (1)1,2 (2)7,(3),(5) व (6) बावजूद तामिल के अनुपस्थित, जवाब बन्द किया गया। व अप्रार्थीगण संख्या (1) 3 ता 5 (2) 1 ता 6 व 4,के विरूद्व एक पक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई । पटवारी सांचौर द्वारा दिनांक 17.06.2020 की मौका फर्द में जाहिर किया है कि मौजा माखुपुरा के खसरा नम्बर 1789,1790,1791,1791/2949,1792 के खातेदार देवाराम पुत्र छोगाराम, गीताबेन पत्नि जोराराम, जोराराम पुत्र छोगाराम, श्रीराम पुत्र भलाराम जातियान ब्राह्मण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तथा वर्तमान खातेदार का ही कब्जा काश्त है। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण व सरकारी पैरोकार की सुनी गई एवं उस पर मनन किया।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिखेख के अवलोकन से यह जाहिर है। कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ग्राम मौखुपुरा के अभिलिखित खातेदार है। पटवारी सांचौर की मौका फर्द दिनांक 17.06.2020 के अनुसार प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण की आराजी प्रार्थी की आराजी के साथ सीमा बनाती है। अतः उभय पक्ष के मध्य खेतों की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नही किया जा सकता। खातेदारों के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारो को उनकी आराजी की सीमाओं का सही–सही ज्ञान हो। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा विवादों का निसतारण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111 में विहित प्रक्रिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार करना विधि संगत समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 आर.एल.आर.एक्ट 1956 मौजा मौखुपुरा पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 1789 रकबा 1.54 हैक्टयर,, खसरा नम्बर 1790 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1791 रकबा 3.84 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1791/2949 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1792 रकबा 1.74 हैक्टयर भंली भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ओर प्रार्थीगण को निर्देशित यिका जाता है कि राशि 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करे। तहसीलदार साचौर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारान के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111–128 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करे तथा प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे पर उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा विभाजक चिन्ह रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उक्त आज दिनांक 12/06/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner